R-2672-II/14

1. बाबा तनय प्रमोद जायसवाल उम्र–60 वर्ष, पेशा–मजदूरी
2. जग्गी तनय प्रमोद जायसवाल उम्र–58 वर्ष, पेशा–मजदूरी
3. राजमणि तनय अमीरे जायसवाल उम्र–70 वर्ष, पेशा–मजदूरी
4. तेजभान तनय अमीरे जायसवाल उम्र–67 वर्ष, पेशा–मजदूरी
5. श्यामलाल तनय अमीरे जायसवाल उम्र–45 वर्ष, पेशा–मजदूरी

सभी निवासी ग्राम पटेहरा, तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0)

---------निगरानीकर्ता

बनाम

शोभई तनय सुकुरा कोल उम्र–60 वर्ष, पेशा–खेती एवं व्यापार, निवासी ग्राम पटेहरा, तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0)---------अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय गिर्द–द्वितीय तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण क्र. 26ए/12/ 13–14
पारित आदेश दिनांक– 16.06.2014
निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है

1 यह कि ग्राम पटेहरा तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0) की भूमि खसरा नम्बर पुराना 415, 416 नया बन्दोवस्त नम्बर 766 रकवा 1.34 हे0 निगरानीकर्तागणो के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि है। निगरानीकर्तागण के उक्त भूमि से लगी हुई मध्यप्रदेश शासन की भूमि खसरा नम्बर पुराना 437 रकवा 6.62 एकड़ स्थित है जो आमजन के निस्तार के रूप में उपयोग की जाती है लेकिन मध्यप्रदेश शासन के उक्त भूमि का जुज रकवा 1.01 हे0 अनावेदक द्वारा अपनी राजनैतिक पहुच के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बन्दोवस्त के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2672–दो/2014 जिला–सीधी

बाबा आदि विरूद्ध शोभई कोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार गिर्द द्वितीय, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी के प्र.क्र. 26/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 5/3/19 सदस्य	